राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर
Certified copy of Order Dated 3/9/26

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH, JAIPUR

S.B. CIVIL TRANSFER APPLICATION NO. 98 OF 2026

IN THE MATTER OF:-

[redacted]

....APPLICANT-PETITIONER

VERSUS

[redacted]

....NON-APPLICANT-RESPONDENT

S.B. CIVIL TRANSFER APPLICATION UNDER SECTION 24 READ WITH SECTION 151 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 SEEKING TRANSFER OF SUIT FOR DECLARATION DIVORCE DECREE AND MANDATORY INJUCTION FROM THE COURT OF CIVIL COURT NO. 01, ALWAR, DISTRICT ALWAR TO THE COURT OF CIVIL COURT KOTA, DISTRICT KOTA DUE TO TRANSFER OF THE APPLICANT-PETITIONER

COURT FEES PAID: Rs.10/-

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

TO

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Transfer Application No. 98/2026
CNR: RJHC020236002026 | URN: CTA / 157U / 2026

[redacted]

----Applicant-Petitioner

Versus

[redacted]

----Non-Applicant-Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Udit Kirori, Adv. with Ms. Mansi Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Bhuvaneswari, Adv. Mr. Navdeep Singh, Adv. Ms. Karishma Pareek, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

03/09/2026

प्रार्थिया ने विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर में प्रस्तुत किये गये दीवानी वाद संख्या 34/52/2024, [redacted] बनाम [redacted] सिविल न्यायालय, कोटा, जिला कोटा मुख्यालय स्थित न्यायालय में अंतरित करने हेतु धारा 24 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत यह अंतरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया का निवेदन है कि प्रार्थिया और अप्रार्थी का विवाह दिनांक 29.05.2022 को मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। प्रार्थिया पूर्व में [redacted] हॉस्पिटल, एमआईए, अलवर में नर्सिंग विभाग में नर्सिंग

(2)

अधिकारी के पद पर कार्यरत थी तथा वर्तमान में प्रार्थिया का कोटा में स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थिया ने विवाह विच्छेद की घोषण करवाये जाने व आज्ञापक व्यादेश जारी किये जाने के संबंध में वाद संस्थित किया था, जो विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर में लम्बित है। वर्तमान में प्रार्थिया कोटा में कार्यरत है तथा प्रार्थिया के परिवारजन हनुमानगढ में निवास करते है तथा उसका एक भाई चितौडगढ में निवास करता है, अतः प्रार्थिया को हनुमानगढ एवं चितौडगढ भी जाना पडता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अपना प्रकरण कोटा स्थित न्यायालय में या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित करवाना चाहती है।

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह कथन रहा है कि अप्रार्थी ने अन्य विवाह कर लिया है एवं तीन तलाक अवैधानिक घोषित हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का अलवर से कोटा स्थानान्तरण हो जाने के कारण से एवं प्रार्थिया के महिला होने और कोटा से अलवर के मध्य अत्यधिक दूरी होने के कारण कोटा से उसका अलवर आना अत्यंत कष्टकारी है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर में संस्थित वाद को कोटा स्थित न्यायालय में या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित किया जावे। उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया गयाः–

1. N.C.V. Aishwarya Vs A.S. Saravana Karthik Sha; Civil Appeal No(S) 4894/2022; Order Dated 18.07.2022

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थिया केन्द्रीय राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं उसके विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण होने के आधार पर उसके प्रकरण को वहां अंतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सोनीपत, राज्य हरियाणा में प्राईवेट नौकरी करता है, जबकि प्रार्थिया केन्द्रीय राजकीय सेवा में कार्यरत है, जिसकी तनख्वाह प्रार्थिया से अत्यधिक कम है। प्रार्थिया के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के संबंध में प्रार्थिया के वेतन से संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी को फिरोजपुर अपने परिवारजन से मिलने भी जाना

shoneekapoor.com

पडता है और यदि प्रकरण को कोटा या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित किया जाता है तो अप्रार्थी को सोनीपत से कोटा या हनुमानगढ की दूरी अधिक होने के कारण से असुविधा होगी तथा प्रार्थिया ने अलवर स्थित न्यायालय में अप्रार्थी के विरूद्ध अन्य प्रकरण भी संस्थित कर रखे है, जिनमें से [redacted] दीवानी वाद संख्या 34/52/2024 विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर में लम्बित है, इसके अतिरिक्त एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अलवर स्थित पुलिस थानों में दर्ज करवा रखी है तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का दावा भी अलवर स्थित न्यायालय में संस्थित कर रखा है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त प्रकरण अलवर से कोटा या हनुमानगढ स्थित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है तो अप्रार्थी को प्रार्थिया से तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर में संस्थित वाद को कोटा स्थित न्यायालय में या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित नहीं किया जावे। उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया गया:–

1. Neeta Kumari Vs Sanjay Kumar; Transfer Petition(Civil) No. 2466/2024; Order Dated 12.02.2025

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिया ने विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर में संस्थित वाद, उनवानी महरून निशा बनाम मोहम्मद सोहेल, दीवानी वाद संख्या 34/52/2024 दावा बाबत् घोषणा विवाह विच्छेद व आज्ञापक व्यादेश को अलवर स्थित न्यायालय से कोटा या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित करने का अनुतोष चाहा है एवं प्रकरण अंतरित करने का कारण यह बताया गया है कि प्रार्थिया पहले अलवर में कार्यरत थी, ऐसे में उसके द्वारा अलवर में वाद संस्थित किया गया था, अब वर्तमान में प्रार्थिया का कोटा में स्थानान्तरण होने से वह कोटा में पदस्थापित है, ऐसी स्थिति में अलवर न्यायालय में संस्थित वाद को कोटा में स्थित

प्रतिलिपि
शासकीय अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ
जयपुर

shoneekapoor.com

न्यायालय में अंतरित कर दिया जावे। मेरे विनम्र मत में प्रार्थिया द्वारा बताया गया कारण युक्तियुक्त व संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थिया के तर्कों को उचित माना भी जावे तो भी ऐसी स्थिति में जहां–जहां भी, जिस–जिस भी स्थान पर प्रार्थिया का स्थानान्तरण राजकीय सेवा में होगा, वहां–वहां उसके प्रकरण को अंतरित करना पडेगा, जबकि राजकीय सेवा में स्थानान्तरण होना राजकीय सेवा की नियमित एवं सतत् प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का अलवर से कोटा स्थानान्तरण होने से प्रकरण को कोटा स्थित न्यायालय में अंतरित किये जाने का कोई न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अलवर स्थित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाया जाना बताया गया है एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में अलवर स्थित न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में भी प्रार्थिया को उपस्थित होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को कोटा स्थित न्यायालय में अंतरित कर दिया जाता है तो भी प्रार्थिया के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण तथा अलवर स्थित पुलिस थानों में दर्ज एफ.आई.आर. से संबंधित प्रकरण अलवर स्थित न्यायालय में लम्बित रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अलवर से कोटा या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में स्थानान्तरित करने से प्रार्थिया को भी असुविधा होगी।

अब जहां तक प्रार्थिया को अप्रार्थी से तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होने का प्रश्न है तो, प्रार्थिया अलवर स्थित न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण में एवं एफ.आई.आर. से संबंधित आपराधिक प्रकरण जो कि अलवर स्थित न्यायालय में लम्बित है, उनमें प्रार्थिया उपस्थित रही है। प्रार्थिया का राजकीय सेवा में कार्यरत होना बताया गया है एवं प्रार्थिया को अप्रार्थी के मुकाबले अत्यधिक वेतन मिलना बताया गया है, ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण को अलवर स्थित न्यायालय से कोटा या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित किया जाता है तो प्रार्थिया के मुकाबले अप्रार्थी को तुलनात्मक रूप से अत्यधिक असुविधा का सामना करना पडेगा। अप्रार्थी को सोनीपत से अलवर आना पडेगा और वहां से कोटा आना पडेगा, किन्तु प्रार्थिया को अप्रार्थी के विरूद्ध

प्रतिलिपि
अधिकारी न्यायिक
उच्च न्यायालय पीठ
जयपुर

shoneekapoor.com

दर्ज अन्य प्रकरणों में कोटा से अलवर आना पडेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अलवर से कोटा या हनुमानगढ स्थित न्यायालय में अंतरित किये जाने से अप्रार्थी को प्रार्थिया के मुकाबले अत्यधिक असुविधा होना प्रकट होता है।

प्रकरण में प्रार्थिया को कोई संतान नहीं होना भी बताया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया को अपनी संतान की देखभाल करने की भी आवश्यकता हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को अलवर स्थित न्यायालय से कोटा स्थित न्यायालय में अंतरित किये जाने पर अप्रार्थी को प्रार्थिया के मुकाबले अत्यधिक असुविधा होगी, जबकि उक्त प्रकरण अलवर में ही रहने से प्रार्थिया को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पडेगा, क्योंकि उसके द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण एवं अलवर के पुलिस थानों में दर्ज एफ.आई.आर. से संबंधित प्रकरण अलवर स्थित न्यायालय में ही संस्थित हैं, जिनमें भी उसको उपस्थित होना पडेगा। ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह अंतरण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत यह अंतरण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

28/AKSHAY KUMAR PAREEK/P.A.

प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ